रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1—सितम्बर 7, 2018 (भाद्र 10, 1940)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1—SEPTEMBER 7, 2018 (BHADRA 10, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	589
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	641
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	13
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1893
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	8553
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1929
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	1799
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	589
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	641
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	13
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1893
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	8553
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1929
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1799
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

[भाग I—खण्ड 1]

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

फा.सं. 6-1/2013/डीएल.—जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय [उच्चतर शिक्षा विभाग {फा.सं. 6-1/2013/डीएल}] में भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 जून, 2015 को प्रकाशित भारत का राजपत्र भाग-I खण्ड- I में यह निर्णय लिया गया था कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालयवत संस्थान और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) पद्धति से प्रदान की गई/किए गए सभी डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र केन्द्रीय सरकार के तहत पद और सेवाओं के प्रयोजन के लिए स्वत: मान्यताप्राप्त हैं, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

और जबकि, यूजीसी ने 23 जून, 2017 की अपनी अधिसूचना के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 अधिसूचित किया है और उसके बाद क्रमश: 11 अक्टूबर, 2017 और 06 फरवरी, 2018 के संशोधन अधिसूचित किए हैं।

और जबकि, एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 10 (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) को ऐसे सभी उपाय करने के लिए प्राधिकृत करती है, जो यह तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और इस मामले में मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे।

अत:, अब केन्द्र सरकार एततद्वारा अधिसूचित करती है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) पद्धति से प्रदान की गई/किए गए सभी डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र केन्द्रीय सरकार के तहत पद और सेवाओं के प्रयोजन के लिए स्वत: मान्यताप्राप्त हैं, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया हो और जहां आवश्यक हो, ऐसे कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा, जिनके लिए यह नियामक प्राधिकरण है, अनुमोदित किया गया हो।

मधु रंजन कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 27th August, 2018

No.F.6-1/2013-DL.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development [Department of Higher Education (F.No.6-1/2013-DL)] dated 10th June, 2015 published in the Gazette of India, Part I, Section I, it had been decided that all the degrees/diplomas/certificates awarded through Open and Distance Learning (ODL) mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government, provided they have been approved by the University Grants Commission (UGC).

And whereas, the UGC vide its Notification dated 23rd June, 2017 has notified the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulation, 2017 followed by the subsequent amendments dated 11th October, 2017 and 6th February, 2018 respectively.

And whereas, Section 10(1) of AICTE Act, 1987 authorises All India Council for Technical Education (AICTE) to take all such steps as it may think fit for ensuring co-ordinated and integrated development of technical and management education and maintenance of standards in the matter.

Now, THEREFORE, the Central Government hereby notifies that all the degrees awarded through Open and Distance Learning mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government, provided they have been approved by the University Grants Commission and wherever necessary by All India Council for Technical Education for the programmes for which it is the regulatory authority.

MADHU RANJAN KUMAR
Joint Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.11 12:18:57 +05'30'